रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264926
CG-DL-E-24072025-264926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY , JULY 22, 2025/ ASHADHA 31, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 487(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 753(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 18 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें सभी व्यक्तियों से, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रति जनसाधारण को तारीख 18 अक्टूबर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना के प्रतिउत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	**उद्योग**	**मानदंड**	**मानक**
"40	कीटनाशक उद्योग	बहिस्राव मानक	
			पीएच और बायो एस्से परीक्षण को छोड़कर, मि.ग्रा./ली. में सान्द्रता को सीमित करना
		क. अनिवार्य मानदंड	
		सीओडी	तकनीकी ग्रेड इकाइयों और उन इकाइयों के लिए जहां एक ही परिसर में प्रतिपादन कार्यकलापों के साथ-साथ तकनीकी ग्रेड उत्पादन होता है, के लिए 250 प्रतिपादन ग्रेड इकाइयों के लिए 150
		बीओडी (3 दिन 27 °C)	30 (प्रतिपादन इकाइयों के साथ-साथ तकनीकी ग्रेड इकाइयों दोनों के लिए)
		पीएच (pH)	6.5-8.5
		ऑइल और ग्रीस	10
		प्लवमान ठोस पदार्थ	100
		*बायोएस्से परीक्षण	100% बहिस्राब में 96 घंटों के बाद मछली की 90% उत्तरजीविता
		ख. अतिरिक्त मानदंड	
		साइनाइड CN के रूप में	0.1
		As के रूप में आर्सेनिक	0.1
		तांबा	1.0
		मैंगनीज	1.0
		पारा	0.01
		ऐन्टिमनी (Sb के रूप में)	0.1
		जस्ता	1.0
		निकल, आदि (भारी धातुएँ व्यष्टिक रूप में)	बीआईएस के अनुसार पेयजल मानकों से

IndiaCode

			व्यष्टिक रूप में 5 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए
		नाइट्रेट (NO3 के रूप में)	50
		फॉस्फेट (P के रूप में)	5.0
		फिनोल और फेनोलिक यौगिक C6H5OH के रूप में	1.0
		गंधक	0.03
		बेंजीन हेक्साक्लोराइड (बीएचसी)	0.01
		कार्बनिल	0.01
		कॉपर सल्फेट	0.05
		कॉपर ऑक्सीक्लोराइड	9.6
		डीडीटी	0.01
		डाइमेथोएट	0.45
		2,4 D	0.4
		एंडोसल्फान	0.01
		फेनिटोथ्रियोन	0.01
		मेलोथियान	0.01
		मिथाइल पैराथियान	0.01
		पैराकाट	2.3
		फेनाथोएट	0.01
		फोरेट	0.01
		प्रोपोनिल	7.3
		पाइरेथ्रम्स	0.01
		जिरम	1.0
		अन्य कीटनाशक (व्यष्टिक रूप में)	0.10
		*बायोएस्से परीक्षण IS: 6582-1971 के अनुसार किया जाएगा।	

टिप्पणी :

1. सामूहिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) में विसर्जित करने वाले उद्योग पर लागू नहीं है, और बागबानी या सिंचाई उदेश्यों के लिए शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग सहित भूमि और सतही जल स्रोतों में किए जाने वाले सभी विसर्जनों पर लागू होगा।
2. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति अनुप्रवाह में प्रापक जल निकाय के उपयोग के आधार पर कुल घुलनशील ठोस कण (टीडीएस), सल्फेट्स और क्लोराइड की सीमा निर्धारित करेगी, जिसमें बहिःस्राव का निपटान किया जाएगा।

IndiaCode

3."अतिरिक्त मानदंडों" के रूप में सूचीबद्ध मानदंडों को मामले दर मामले के आधार पर प्रक्रिया और उत्पाद पर निर्भर करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

ग. उत्सर्जन मानक

	सीमित सांद्रता mg/Nm³ में
HCl	20
Cl_2	5
H_2S	5
NH_3	30
P_2O_5	10
CH_3Cl	20
HBr	5
विविक्त कण के रूप में कीटनाशक यौगिक	20
बेंजीन	5
टोल्यूनि	100
ज़ाइलीन	100
एसीटोनाट्राइल	1000
डाईक्लोरोमिथेन	200
एसीटोन	2000
मिथेनॉल	350

विलायक* की कुल संचयी हानि भंडारण सूची से वार्षिक आधार पर विलायक के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए

* विलायक की हानि से विलायक को गैसीय, रूम में उत्सर्जन और अपशिष्ट जल में छोड़ना अभिप्रेत है।

घ. भस्मकों के लिए उत्सर्जन मानक

	जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सांद्रता को मि.ग्रा./ घनमीटर 3 में सीमित करना	नमूने लेने की अवधि (मिनटों में) जब तक निर्दिष्ट न किया जाए
विविक्त कण	50	30 या अधिक (300 लीटर उत्सर्जन के नमूने के लिए)
HCl	50	30
SO_2	200	30
CO	100	दैनिक औसत
कुल जैविक कार्बन	20	30
कुल डाइऑक्सिन और फ्यूरान	0.1 ngTEQ/Nm³	8घण्टे

IndiaCode

		(मौजूदा/नया भस्मक)		
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V और उनके यौगिक	1.5	2 घण्टे

टिप्पणी :

(i)सभी मानीटर किए गए मान को शुष्क आधार पर 11% ऑक्सीजन तक सही किया जाएगा।

(ii) टेल गैस में CO_2 की सांद्रता 7% से कम नहीं होगी।

(iii) यदि हैलोजेनेटेड कार्बनिक अपशिष्ट का वजन इनपुट अपशिष्ट के हिसाब से 1% से कम है, तो एकल कक्ष भस्मक में सभी सुविधाएं इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि भस्मक में न्यूनतम तापमान 1100°C प्राप्त किया जा सके। द्रवीकृत बेड प्रौद्योगिकी आधारित भस्मक के लिए, तापमान 950°C पर बनाए रखा जाएगा।

(iv) यदि हैलोजेनेटेड कार्बनिक अपशिष्ट का वजन इनपुट अपशिष्ट के हिसाब से 1% से अधिक है, तो अपशिष्ट को केवल टिवन चैम्बर भस्मक में जलाया जाएगा और सभी सुविधा संयंत्रों को प्राथमिक कक्ष में 850±25°C और द्वितीयक दहन कक्ष में 1100°C का न्यूनतम तापमान प्राप्त करने के लिए बनाया जाएगा और द्वितीयक दहन कक्ष में गैस मौजूदगी समय दो सेकंड से कम नहीं होना चाहिए।

(v) स्क्रबिंग उत्सर्जन के लिए बने स्क्रबर का उपयोग शमनकर्ता के रूप में नहीं किया जाएगा।

(vi) भस्मीकरण संयंत्रों (दहन कक्षों) को ऐसे तापमान, अवधारण समय और वायुमण्डलीय विक्षोप के साथ संचालित किया जाएगा, ताकि भस्मीकरण भस्म और अवशिष्टों में कुल कार्बनिक कार्बन (टीओसी) सामग्री 3% से कम हो और दहन करने पर उनका नुकसान सूखे वजन का 5% से कम हो। मानकों को पूरा न करने की स्थिति में, यथास्थिति, भस्म और अवशिष्ट को पुनः जला दिया जाएगा।

(vii) भस्मक में कम से कम तीस मीटर ऊंची चिमनी होनी चाहिए।

ड. भस्मक से उत्पन्न बहिःस्राव

टिप्पणी :

(i). स्क्रबर और फर्श की धुलाई से उत्पन्न बहिःस्राव बंद नाली या पाइपों के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधिसूचित पर्यावरण प्रदूषण (भाग कः बहिःस्राव) के विसर्जन के लिए सामान्य मानकों की अनुसूची: VI के साथ पठित ऊपर 'ख' में उल्लिखित बहिःस्राव मानकों का अनुपालन करने के लिए उपचारित किया जाएगा।

(ii). अपशिष्ट जल या फर्श धोने से बनने वाला कुल घुलनशील ठोस कण (टीडीएस) उपयोग किए गए अशोधित पानी के (टीडीएस) से 1000 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

च. तूफान का पानी

टिप्पणी :

(i). तूफान के पानी को स्क्रबर पानी और/या फर्श धोने के पानी के साथ मिश्रित होने की अनुमति दी जाएगी।

(ii). तूफान के पानी को 10 मिनट (प्रति घंटा औसत) वर्षा जल धारण क्षमता की एचडीपीई लाइन गड्ढे से गुजरने वाली अलग-अलग नालियों के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा।"

[फा.सं.क्यू-15017/06/2019-सीपीडब्ल्यू]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 482(अ) तारीख 21 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2025

G.S.R. 487(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 were published, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number, G.S.R. 753(E), dated 17th October, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i),* dated the 18th October, 2023, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas, the copy of the said Gazette notification was made available to the public on the 18th October, 2023;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-l, for serial number 40 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
"40	Pesticide Industry	Effluent Standards	
			Limiting concentration in mg/l, except for pH and Bioassay test
		A. Compulsary Parameters	
		COD	250 for technical grade units and for those units where formulation activities as well as technical grade production in the same premises

	150 for formulation grade units
BOD (3 days 27^0C)	30 (for both formulation units as well as technical grade units)
pH	6.5-8.5
Oil and Grease	10
Suspended Solids	100
*Bioassay Test	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent
B. Additional Parameters	
Cyanide as CN	0.1
Arsenic as As	0.1
Copper	1.0
Manganese	1.0
Mercury	0.01
Antimony (as Sb)	0.1
Zinc	1.0
Nickel, etc. (heavy metals individually)	Shall not exceed individually 5 times the drinking water standards as per BIS
Nitrate (as NO3)	50
Phosphate (as P)	5.0
Phenol & Phenolic Compounds as C6H5OH	1.0
Sulphur	0.03
Benzene Hexachloride (BHC)	0.01
Carbonyl	0.01
Copper Sulphate	0.05
Copper Oxychloride	9.6
DDT	0.01
Dimethoate	0.45
2,4 D	0.4
Endosulfan	0.01
Fenitothrion	0.01
Malathion	0.01
Methyl Parathion	0.01
Paraquat	2.3
Phenathoate	0.01
Phorate	0.01
Proponil	7.3
Pyrethrums	0.01
Ziram	1.0
Other Pesticide (individually)	0.10

*Bioassay Test shall be carried out as per IS: 6582-1971.

Note:

1. Not applicable to industry discharging to Common Effluent Treatment Plants, and shall be applicable to all discharge to land and surface water bodies including use of treated wastewater for horticulture or irrigation purpose.
2. The concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prescribe limits of Total Dissolved Solids, Sulphates and Chlorides depending on the usages of recipient water body in downstream, in which effluent shall be disposed off.

IndiaCode

3. Parameters listed as "Additional Parameters" shall be prescribed depending upon the process and product, on a case to case basis.

C. Emission Standards

	Limiting concentration in mg/Nm^3
HCl	20
Cl_2	5
H_2S	5
NH_3	30
P_2O_5	10
CH_3Cl	20
HBr	5
Pesticides compounds in the form of particulate matter	20
Benzene	5
Toluene	100
Xylene	100
Acetonitrile	1000
Dichloromethane	200
Acetone	2000
Methanol	350

The total cumulative losses of solvent* should not be more than 5 percent of the solvent on annual basis from storage inventory

*Losses of solvent means the solvent leaving in gaseous emissions and wastewater.

D. Emission Standards for Incinerator

	Limiting Concentration in mg/Nm3, unless stated	Sampling durations in(minutes) unless stated
Particulate Matter	50	30 or more (for sampling of 300 litres of emission)
HCl	50	30
SO_2	200	30
CO	100	Daily average
Total organic Carbon	20	30
Total Dioxins and Furans (Existing or New Incinerator)	0.1 ngTEQ/Nm3	8 hours
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V and their compounds	1.5	2 hours

Note:

(i) All monitored value shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.

(ii) The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.

(iii) In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight input waste, all the facilities in single chamber incinerators shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 1100°C in the incinerator. For fluidized bed technology based incinerator, temperature shall be maintained at 950°C.

		(iv) In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 850±25°C in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds. (v) Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher. (vi) Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3% and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. In case of nonconformity, ash and residue as the case may be, shall be re-incinerated. (vii) The incinerator shall have a chimney of at least thirty meters height.
		E. Effluent from Incinerator
		Note: (i) Effluent from scrubber(s) and floor washings shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to comply with the effluent standards mentioned at 'B' above read with Schedule VI: General Standards for Discharge of Environment Pollutions (Part A : Effluents) notified under the Environment (Protection) Rules, 1986. (ii) The build-up in Total Dissolved Solids in wastewater or floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the Total Dissolved Solids of raw water used.
		F. Storm water
		Note: (i) Storm water shall be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings. (ii) Storm water shall be channelized through separate drains passing through a High Density Polyethylene lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall."

[F. No. Q-15017/06/2019-CPW]

NEELESH KUMAR SAH, Jt Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O.844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* G.S.R. 482(E), dated 21st July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.24 12:11:51 +05'30'